



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226572
CG-DL-E-13042021-226572

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943

No. 26]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

भारत निर्वाचन आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

आ.अ. 28(अ).—यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 13 अप्रैल, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

क्र. सं. (1)	राज्य (2)	भरे जाने वाले स्थान (3)
1.	केरल	03

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख

- 20 अप्रैल, 2021 (मंगलवार)

- (ख) नाम निर्देशनों की संविधा की तारीख - 21 अप्रैल, 2021 (बुधवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 23 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 30 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार), और
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 03 मई, 2021 (सोमवार), और
- (आ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[फा. सं. 318/रा.स.-केरल/2021 (1)]

आदेश से,
सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2021

O.N. 28(E).—Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on **13th April, 2021** been pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State, specified in column (2) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (3) of the said TABLE:

TABLE

Sl. No. (1)	Name of State (2)	No. of members retiring (3)
1.	Kerala	03

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election;

- the 20th April, 2021 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- the 21st April, 2021 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- the 23rd April, 2021 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- the 30th April, 2021 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- the 03rd May, 2021 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the above mentioned State on the date specified above for the election.

[F. No. 318/CS-KL/2021(1)]

By Order,
SUMAN KUMAR DAS, Secy.